उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-3248 /77-4-23-06अपील/2023
लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2023

मै0 बालाजी आई.टी. पार्क्स प्रा0लि0 — **पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण — **विपक्षीगण**

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मै0 बालाजी आई.टी. पार्क्स प्रा0लि0 द्वारा ग्रेटर नौएडा में आवंटित भूखण्ड संख्या-113बी, सेक्टर-टेकजोन, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्गत नोटिस दिनांक 03.01.2023 के विरूद्ध अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा-41 (3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 के अन्तर्गत दाखिल की गयी है। प्रकरण में ग्रेटर नौएडा से आख्या प्राप्त की गयी, जो उनके पत्र दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से प्राप्त हुई। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के संबंध में दिनांक 08.06.2023 को सुनवाई की गयी, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री मनोज तिवारी, वाईस प्रेसिडेन्ट कारपोरेट अफेयर्स भौतिक रूप से तथा प्राधिकरण की ओर से श्री अमनदीप डुली, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं श्री नवीन कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

2. उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा-41(3) निम्नवत् हैः-

> The State Government may, at any time, either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the records of any case disposed of or order passed by the (Authority or the chairman) for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit:

उक्त प्राविधान से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पर शासन में सुनवाई की जाती है।

3. प्रश्नगत प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 03.01.2023 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है, जो प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश न होकर पुनरीक्षणकर्ता कंपनी को निर्गत नोटिस है, जिसके माध्यम से प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता कंपनी से कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने अथवा कार्यपूर्ति हेतु आवेदन किए जाने के संबंध में सूचना मांगी गयी है।

4. प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता कंपनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-9142/2023 बालाजी आई.टी. पार्क्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2023 का मुख्य अंश निम्नवत् हैः-

> In that view of the matter, we dispose off this petition with the request upon the revisional authority (respondent no.1) to accord due consideration to petitioner's revision and pass appropriate

orders, expeditiously, preferably within a period of four months after affording an opportunity of hearing to the second respondent.

5. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 08.06.2023 को प्रकरण में सुनवाई की गयी। सुनवाई में उभयपक्षों को सुना गया। यह पाया गया कि पुनरीक्षणकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका प्राधिकरण के किसी आदेश के विरूद्ध न होकर प्राधिकरण द्वारा निर्गत नोटिस दिनांक 03.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 सपठित उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा (3) में निहित प्राविधानों के अनुसार पोषणीय नहीं है। प्रार्थी को यह अधिकार है कि वह नोटिस का उत्तर देकर प्राधिकरण में अपनी बात रख सकता है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

6. अतः पुनरीक्षणकर्ता कंपनी मै0 बालाजी आई.टी. पार्क्स द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पोषणीय न होने के कारण एतद्द्वारा निस्तारित की जाती है।

नरेन्द्र भूषण
प्रमुख सचिव

संख्याः– 3248 (1)/77–4–23तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. श्री मनोज कुमार, अधिकृत हस्ताक्षरी, बालाजी आई.टी. पार्क्स प्रा0 लि0 जीएफ–09, प्लाजा एम–6, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली–110025
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।